भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1372

जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

दिव्यांगजनों को कानूनी सहयता सेवाएं

1372 श्री तापिर गाव :

श्रीमती हिमाद्री सिंह :

श्री विजय बघेल :

श्री मनीषा जायसवाल :

कैप्टन बृजेश चौटा :

श्रीमती अपराजिता सारंगी :

श्री बलभद्र माझी :

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :

श्री विजय कुमार दूबे :

श्री नलिन सोरेन :

श्री राहुल सिंह लोधी :

श्री भोजराज नाग :

श्री आलोक शर्मा :

श्री सतीश कुमार गौतम :

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि :

श्री जुगल किशोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर झारखंड के दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं का प्रदान की गई सहायता की प्रकृति और दायरे सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) मानसिक रोग और बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्थापित विशेष कानूनी सेवा इकाइयां किस प्रकार काम कर रही हैं और विशेषकर ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता की स्थिति क्या है ;

(ग) निर्णय कक्ष, न्यायालय कक्ष सहित न्यायिक अवसंरचनाओं तक दिव्यांगजनों के सुगम पहुंच के तथा डिजिटल पहुंच, सहायक प्रौद्योगिकियां और समावेशी डिजाइन मानक क्या हैं तथा

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित न्यायालय परिसरों में उनका अनुपालन किस प्रकार किया जा रहा है ;

(घ) क्या ई-न्यायालय चरण III में दिव्यांगजनों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए पहुंच हेतु उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार ने आमजन को, जिसमें दिव्यांगजन भी सम्मिलित हैं, किफायती, गुणवत्ता और त्वरित विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई उपाए किए हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 समाज के दुर्बल वर्गों, जिसमें दिव्यांगजन भी सम्मिलित हैं, को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाओं का उपबंध करता है । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(घ) के अनुसार, दिव्यांगजन विधिक सेवाओं का हकदार है ।

नालसा, दिव्यांगजनों के लिए, नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2024 नामक एक विशिष्ट योजना कार्यांवित कर रहा है । यह योजना संपूर्ण देश में क्रियांवित की गई है, जिसमें झारखंड का दुमका लोकसभा क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र सम्मिलित हैं । संपूर्ण झारखंड राज्य में, जिसमें दुमका लोकसभा क्षेत्र भी सम्मिलित है, दो अवसरों पर, एक 13.07.2024 से 26.08.2024 तक और दूसरा 06.07.2025 से 20.07.2025 तक, दिव्यांग बालकों के लिए विशेष अभियान चलाए गए ।

नालसा के जनादेश के अनुरूप, जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, पैनल वकीलों, पैरा विधिक स्वयंसेवकों और विशेषज्ञ विधिक सेवा इकाइयों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिकार-आधारित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है । वर्ष 2025 के दौरान, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विधिक सेवाओं के विभिन्न तरीकों से कुल 468 दिव्यांगजनों को लाभ हुआ । कुल 144 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7,211 लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर दिव्यांगजनों और उनके परिवारों तक पहुंचने के लिए पैरा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा 121 घर-घर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ।

ओडिशा राज्य में, उड़ीसा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा, आदिवासी क्षेत्रों के लोगों, जिसमें दिव्यांगजन भी सम्मिलित हैं, से आवेदन प्राप्त होने पर उनको विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं । केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए, के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं । कोरापुट, मलकानगिरी, क्योंझर, मयूरभंज, फूलबन, रायगड़ा और सुंदरगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में भी ग्राम विधिक देखरेख और सहायता केंद्र कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, ऊपरोक्त वर्णित जिलों के आदिवासी इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए मोबाइल विधिक सहायता वैन भी तैनात की जा रही हैं ।

नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2024 के खंड 5.1 के अनुसार, ओडिशा ने मानसिक बीमारी और बौद्धिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए राज्य के सभी 30 जिलों और तालुक स्तर पर विधिक सेवा इकाइयां : 'मनोन्याय' का गठन किया है । ओडिशा राज्य में आयोजित 65 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के 8,870 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है ।

(ग) : सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए, न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों, वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के संसाधनों के संवर्धन द्वारा, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रही है । योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्तावित अवसंरचना का डिजाइन दिव्यांगजनों के अनुकूल हो । भवन का डिजाइन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित अपेक्षित मानदंडों/पहुंच योग्य मानकों के अनुरूप हो ।

(घ) और (ङ) : ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अधीन, 24 घटक हैं, जिनमें नागरिकों, जिसमें दिव्यांगजन सम्मिलित हैं, के लिए एक मजबूत और सुलभ डिजिटल अवसंरचना बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं । दिव्यांगजनो को बेहतर सुलभ आईसीटी सक्षम सुविधाएं प्रदान करने, 752 न्यायालयों (उच्च न्यायालयों सहित) की वेबसाइटों को S3WaaS प्लेटफॉर्म (किसी सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट) पर अंतरण, जो वेबसाइट को दिव्यांगजनो के लिए अनुकूल बनाता है, के लिए 27.54 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का उपबंध किया गया है । S3WaaS प्लेटफॉर्म में आंशिक रूप से और पूरी तरह से दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए सामग्री की आसान दृश्यता की सुविधाएँ हैं ।
